



Regional Centre for Urban & Environmental Studies, Lucknow
(Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India)

क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ
(आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार)



URC/01/24/2018-19
24/04/2018

Er. A.K. Gupta

Additional Director

ई. ए. के. गुप्ता

अपर निदेशक

B.Tech (Civil), M.P. (Transport Planning),

P.G.C.P.M., F.I.E., F.I.T.P., F.I.W.W.A.,

F.I.W.E., M.U.I.T.

सेवा में,

नगर आयुक्त

नगर निगम

आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, अयोध्या-फैजाबाद, मथुरा-वृन्दावन।

विषय: अमृत योजना के अंतर्गत सेप्टेज एवं फिकल सलज मैनेजमेंट पर एडवान्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन दिनोंक 09-11 मई, 2018 को आयोजित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या-4466(1)/9-5-15-227/सा/2015 दिनांक 30.07.2015 के द्वारा क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ को अटल मिशन फॉर रिजुवैनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफारमेशन (AMRUT) योजना के अन्तर्गत रिसोर्स सेन्टर नामित किया गया है तथा मिशन निदेशक (अमृत), नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या एसएमएमयू/725/513/2016 दिनोंक 08/अक्टूबर/2016 द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग किये जाने के निर्देश भी निर्गत किये गये हैं।

अमृत योजना के अन्तर्गत सेप्टेज एवं फिकल सलज मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण घटक है। जिन क्षेत्रों में सिवरेज के अनुपलब्धता है। उन अर्बन लोकल बाडिज हेतु सेप्टेज एवं फिकल सलज मैनेजमेंट के माध्यम से सेप्टाज का उपचार किया जा सकता है एवं इसे डिसेन्ट्रलाइज तरिके से कम लागत में किया जा सकता है। उक्त विषय को दृष्टिगत रखते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स एवं क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ के तत्वाधान में तीन दिवसीय एडवान्स प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनोंक 09-11 मई, 2018 का आयोजन क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र लखनऊ में किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण दिनोंक 09 मई, 2018 को प्रातः 10.00 बजे से प्रारम्भ होगा।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु संलग्न सूची के अनुसार नगर निगम के सिविल अभियन्ता को नामित किया गया है साथ ही संबंधित जल निगम के अभियन्ता को भी नामित किया गया है।

अतः आप से अनुरोध है कि विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए अपने नगर निगम के अभियन्तों के साथ संबंधित जल निगम के अभियन्ता के साथ प्रतिभाग किया जाना सुनिश्चित करें।

क्रमशः.....

Office : Adjacent Registrar's Office, Lucknow University Campus, Lucknow, Uttar Pradesh - 226007

Telefax : 0522-2740165, 2740108, **E Mail :** ad.rcueslko@gmail.com | **Website :** www.rcueslucknow.org

Residence : C.P,102-B Block, Near St. Dominic School, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh-226016

Mobile : +91-7839470399, +91 90443199791

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अमृत योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के दौरान भोजन और ठहरने की व्यवस्था केन्द्र के द्वारा निःशुल्क प्रदान की जायेगी तथा यात्रा पर होने वाला व्यय नगर निगम/जल निगम द्वारा वहन किया जायेगा।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबंधित नामित अधिकारी द्वारा भाग लेना अनिवार्य है। सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग न करने की दशा में संबंधित अधिकारी/कार्मिक के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन/निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय को प्रस्ताव भेज दिया जायेगा।

कार्यक्रम के सम्बन्ध में अधिक जानकारी कोर्स कोऑर्डिनेटर डा० ए०के० सिंह, सहायक निदेशक, मोबाइल नं०-09936711100 एवं श्री अजय कुमार पाण्डेय, कम्प्यूटर स्पेशलिस्ट मोबाइल नम्बर - 09415044871 क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ द्वारा पर प्राप्त की जा सकती है। उपरोक्त पत्र की प्रतिलिपि स्थानीय निकाय निदेशालय की वेबसाइट localbodies.up.nic.in पर निदेशालय के महत्वपूर्ण पत्र/प्रपत्र/आदेश के AMRUT/Smart City के कॉलम पर तथा केन्द्र की वेबसाइट www.rcueslucknow.org पर भी उपलब्ध है। सम्बन्धित पत्र को उपरोक्त दोनों वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(ए०के० गुप्ता)

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि:

1. सचिव/राज्य मिशन निदेशक (अमृत), नगर विकास विभाग, अनुभाग-5, उ०प्र० शासन, बापू भवन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित पत्र को नगरीय निकाय निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें तथा सम्बन्धित निकायों को प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. प्रबंध निदेशक, उ०प्र० जल निगम 6 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. निदेशक, राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (एन.आई.यू.ए.), प्रथम एवं द्वितीय तल, कोर-4 बी, इण्डिया हैबीटेड सेन्टर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 को सूचनार्थ प्रेषित।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, अयोध्या-फैजाबाद, मथुरा-वृन्दावन को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि संलग्न सूची के अनुसार संबंधित अधिकारी को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. कोर्स कोऑर्डिनेटर, आरसीयूईएस को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. प्रशासनिक अधिकारी/व्यवस्थाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, आरसीयूईएस को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. प्रकाशन अधिकारी, आरसीयूईएस को केन्द्र की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. श्री बी०डी० मुखर्जी, निजी सचिव को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह सम्बन्धित निकायों में दूरभाष पर नामांकित निकाय अधिकारी को प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु अवगत करायेंगे।


(ए०के० गुप्ता)

प्रशिक्षण का नाम		Advance Training Programme on Faecal Sludge & Septage Management	
प्रशिक्षण की तिथि		09-11 May, 2018	
क्र० संख्या	नगर निगम	जिला	पदनाम
1.	आगरा	आगरा	सिविल अभियन्ता एवं संबन्धित जल निगम के अभियन्ता
2.	अलीगढ़	अलीगढ़	सिविल अभियन्ता एवं संबन्धित जल निगम के अभियन्ता
3.	इलाहाबाद	इलाहाबाद	सिविल अभियन्ता एवं संबन्धित जल निगम के अभियन्ता
4.	फिरोजाबाद	फिरोजाबाद	सिविल अभियन्ता एवं संबन्धित जल निगम के अभियन्ता
5.	बरेली	बरेली	सिविल अभियन्ता एवं संबन्धित जल निगम के अभियन्ता
6.	गाजियाबाद	गाजियाबाद	सिविल अभियन्ता एवं संबन्धित जल निगम के अभियन्ता
7.	गोरखपुर,	गोरखपुर,	सिविल अभियन्ता एवं संबन्धित जल निगम के अभियन्ता
8.	झांसी	झांसी	सिविल अभियन्ता एवं संबन्धित जल निगम के अभियन्ता
9.	कानपुर	कानपुर	सिविल अभियन्ता एवं संबन्धित जल निगम के अभियन्ता
10.	लखनऊ	लखनऊ	सिविल अभियन्ता एवं संबन्धित जल निगम के अभियन्ता
11.	मेरठ	मेरठ	सिविल अभियन्ता एवं संबन्धित जल निगम के अभियन्ता
12.	मुरादाबाद	मुरादाबाद	सिविल अभियन्ता एवं संबन्धित जल निगम के अभियन्ता
13.	सहारनपुर	सहारनपुर	सिविल अभियन्ता एवं संबन्धित जल निगम के अभियन्ता
14.	वाराणस	वाराणस	सिविल अभियन्ता एवं संबन्धित जल निगम के अभियन्ता
15.	अयोध्या-फैजाबाद	अयोध्या-फैजाबाद	सिविल अभियन्ता एवं संबन्धित जल निगम के अभियन्ता
16.	मथुरा-वृन्दावन	मथुरा-वृन्दावन	सिविल अभियन्ता एवं संबन्धित जल निगम के अभियन्ता